भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3556
21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राजस्थान में सी.जी.एच.एस.

3556. श्री दामोदर अग्रवालः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान राज्य में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अन्तर्गत कार्यरत एवं सेवानिवृत्त लाभार्थियों की भीलवाड़ा सहित जिलावार संख्या कितनी है;
(ख) राजस्थान में सीजीएचएस के अन्तर्गत पैनलबद्ध निजी अस्पतालों की भीलवाड़ा सहित जिलावार संख्या कितनी है;
(ग) राजस्थान में सीजीएचएस के अन्तर्गत पैनलबद्ध निजी डायग्नोस्टिक केन्द्रों की भीलवाड़ा सहित जिलावार संख्या कितनी है;(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में सीजीएचएस के अन्तर्गत कोई भी निजी अस्पताल एवं डायग्नोस्टिक केन्द्र पैनलबद्ध नहीं है;
(ङ) यदि हां, तो राजस्थान में भीलवाड़ा सहित जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) पैनलबद्ध अस्पतालों की अनुपस्थिति में सीजीएचएस लाभार्थियों के जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): राजस्थान राज्य में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत 58,839 सेवारत लाभार्थी और 48,990 सेवानिवृत्त लाभार्थी हैं। चूंकि भीलवाड़ा जिला सीजीएचएस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है, इसलिए भीलवाड़ा जिले के सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की संख्या से संबंधित आंकडे़ उपलब्ध नहीं हैं। राजस्थान राज्य में सेवारत और सेवानिवृत्त सीजीएचएस लाभार्थियों की संख्या का जिलावार विवरण नीचे दिया गया है

क्रम सं.	ज़िला	सेवारत सीजीएचएस लाभार्थियों की संख्या	सेवानिवृत्त सीजीएचएस लाभार्थियों की संख्या
1.	जयपुर	41,912	32,150
2.	अजमेर	5,805	3,406
3.	जोधपुर	9,044	3,546
4.	कोटा	2,078	9,888
कुल		58,839	48,990

(ख) से (ङ): राजस्थान राज्य में सीजीएचएस के अंतर्गत नैदानिक केन्द्रों सहित 130 निजी अस्पताल पैनलबद्ध हैं। जयपुर में सीजीएचएस के तहत 92, अजमेर में 7, जोधपुर में 23 और कोटा जिले में 8 निजी अस्पताल पैनलबद्ध हैं। चूंकि भीलवाड़ा जिला सीजीएचएस क्षेत्र के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है, इसलिए भीलवाड़ा जिले में सीजीएचएस के तहत कोई निजी अस्पताल अथवा नैदानिक केन्द्र पैनलबद्ध नहीं है।

(च): सीजीएचएस के अंतर्गत इच्छुक निजी अस्पतालों को कतिपय निबंधन एवं शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन पैनलबद्ध किया जाता है। भीलवाड़ा जैसे अल्पसेवित क्षेत्रों में निजी अस्पतालों को सीएस (एमए) नियमावली, 1944 के तहत मान्यता प्राप्त/पैनलबद्ध किया जाता है और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत चिकित्सा परिचर की नियुक्ति की जाती है।

*****